Month- March.-2023

Vol- I

Issue- 03

Subject - Sociology

**International Research Mirror**

*( International Level Double Blind Peer Reviewed, Refereed,Indexed, Multilingual, Interdisciplinary, Monthly Research Journal)*

**ISSN (P) : 2250-253X**
**ISSN (E) : 2320-544X**
**Impact Factor : 6.993 (SJIF)**

# बढ़ते बाल अपराध में सूचना तकनीकी का प्रभाव

**Dr. Shahida Khan**

**Assistant Professor,**
**St. Wilfred College for Girls,**
**Mansarovar, Jaipur**

**सारांश –**

वर्तमान आधुनिक समाज मे जिन महत्वपूर्ण समस्याओं से घिरा हुआ है, बाल अपराध उनमें एक प्रमुख समस्या है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के समाजों में बाल अपराध की समस्या एक चुनौती बनकर उभरी है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा वैश्वीकरण के जिन नये सामाजिक मूल्यों को जन्म दिया है उसके प्रभाव से बालकों के व्यवहारों के ऐसे प्रतिमान विकसित हो रहे हैं जो समाज द्वारा मान्य नहीं है।

बाल अपराध के अन्तर्गत किसी बालक या किशोर व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं, जो कि संबंधित स्थान के कानून (जो एक समय में लागू हो) के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं। प्रायः बाल अपराध कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। बाल अपराध के कारण वैयक्तिक विघटन एवं सामाजिक विघटन की प्रक्रिया तीव्र होती जा रही है फलस्वरूप बाल अपराधी की दर तथा प्रकृति में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी है। बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है किन्तु जहां यह नटखटपन या शैतानी समाज की मान्यताओं को भंग करने लगता है तो बाल अपराध के नाम से जाना जाता है।

कुछ समय पहले तक बाल अपराध की समस्या का मुख्य कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, गलत संगति, निरक्षरता आदि को माना जाता था परन्तु वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि संभ्रात परिवार के किशोरों में भी अपराध प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। आधुनिक जीवनशैली में कम्प्यूटर, इन्टरनेट, इलैक्ट्रॉनिक, मीडिया, मोबाईल, बाइक, नशा, महंगे शौक, जुआ इत्यादि का प्रसार, बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं।

रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दी, भीख मांगना, निरूद्देश्य इधर–उधर घूमना, उद्दण्डता बाल अपराधी के लक्षण हैं। गरीबी सबसे बड़ा कारण है जो बच्चों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा आजकल मीडिया की भूमिका, किशोरों के मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव अधिक डालती है।

बाल अपराध की समस्या को बच्चों को जीवन से सम्बन्धित सामान्य समस्या समझकर छोड़ देना उचित नहीं है। बाल अपराध की समस्या का समुचित नियंत्रण न होने से यही बच्चे और किशोर भविष्य में गंभीर अपराधी बनकर समाज को विघटित करने के स्त्रोत (कारण) बन सकते हैं।

इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि बाल अपराध की प्रवृत्ति (प्रकृति) तथा कारणों का विश्लेषण करके इस समस्या के समाधान के लिए व्यवहारिक प्रयत्न किये जायें क्योंकि बच्चे ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है।

***शब्द संकेत – अपराध, आवारा गर्दी, निरूद्देश्य एवं नकारात्मक।***

**विषय प्रवेश –**

वर्तमान में बाल अपराध एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी चिन्ता का कारण है। बाल अपराध बालक का लड़कपन या नटखटपन है जिससे वशीभूत होकर वह कानून का उल्लंघन करता है अथवा जनकल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। बाल अपराध को अपराध का मुख्य द्वार कहां जा सकता है। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है जिसका चिंतन करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं सांस्कृतिक कर्त्तव्य है। बालक भविष्य का राष्ट्र निर्माता, नायक और भविष्य का पिता है, जो आगे चलकर समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा अर्थात् भविष्य के समाज को दिशा प्रदान कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने मूल्य, नियम, रीति–रिवाज, प्रथाएं, परम्परा एवं कानुन आदि है जिनका जब बालक उल्लंघन करता है तो समाज के प्रतिमानों की अवहेलना होती है जो समाज के लिए घातक है।

न्यूमेयर का कहना है कि "बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसमें समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानुन को तोड़ने वाला है।"

भारत वर्ष में बाल न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध एक अल्पायु व्यक्ति का वह कार्य है जो प्रत्यक्षतः कानून और अध्यादेशों के विरूद्ध होता है।

केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गम्भीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है, जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी माना

जायेगा।

भारत में किशोरों द्वारा अपराध एक कड़वी वास्तविकता है। वर्तमान समय में बच्चे बहुत से खतरनाक अपराधों में शामिल पाये जाते है। जैसे – लूटमार, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म आदि। ये एक चिन्ता का विषय है और पूरा समाज बच्चों द्वारा किये जाने वाले इस तरह के आपराधिक कृत्यों से दुःखी है।

बाल अपराध के अनेक कारक जिम्मेदार है। विभिन्न विद्वान शारीरिक बनावट, मानसिक हीनता तथा अस्थिरता, आर्थिक परिस्थितियां, संवेगात्मक अस्थिरता, विशिष्ट जनसंख्यात्मक और सांस्कृतिक कारकों आदि को अपने–अपने नजरिये से बाल अपराध के लिए उत्तरदायी मानते हैं, परन्तु बाल अपराध निर्धन परिवारों की उपज है क्योंकि इन परिवारों में बच्चों का पालन–पोषण उचित ढंग से नहीं होता और न ही उन्हें दो वक्त का भोजन मिलता है।

परिवार समाज की महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है। जहां बालक का समाजीकरण होता है। प्रेम और सहयोग एवं सामाजिक नियमों के प्रशिक्षण द्वारा उसे समाजोपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास किया जाता है लेकिन यदि परिवार संगठित न हो एवं परिवार की आर्थिक दशा एवं निवास की स्थितियां एवं माता–पिता और बच्चों के बीच संबंधों में संतुलन न हो तो विपरीत स्थितियां निर्मित हो जाती है। टूटे परिवार, अनैतिक परिवार, त्रुटिपूर्ण अनुशासन, पारिवारिक नियंत्रण में कमी, सौतेले माता–पिता का व्यवहार, से बच्चे में हीनता तथा निराशा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। प्रारम्भ में परिवार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा उसके बाद समाज के नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं।

आर्थिक परिस्थितियां और बाल अपराध में भी घनिष्ठ संबंध है। निर्धनता की स्थिति में बच्चे की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। अतः यह असंतोष उनके अंदर कुंठा पैदा करता है और ऐसी स्थिति में बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी एवं अन्य अपराधों की तरफ बढ़ जाता है।

बालक के विकास पर पास–पड़ौस का भी प्रभाव पड़ता है। अगर उसका पड़ौस अच्छा होता है तो इसका बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर पड़ौस शराबियों, जुआरियों, वैश्यागामियों, चोर आदि का है तो बालक अवसर मिलने पर इन आदतों का शिकार अवश्य होता है। बाल अपराधियों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों या साथी–समूह का भी पड़ता है। बालकों पर उम्र के साथ–साथ परिवार का प्रभाव घटता जाता है और साथी समूहों का प्रभाव बढ़ता जाता है। बालक अगर घर या स्कूल के परिवेश से असंतुष्ट है या कुछ सुविधाओं से अपने को वंचित पाता है और अगर इन सुविधाओं को वह मित्र–समूह से पाता है जो कि दुराचरण में लिप्त है तो वह बालक आसानी से बाल अपराध ी गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार मित्र–समूह बाल अपराध की उत्पत्ति में एक प्रभावी कारक रहा है। मित्र–समूह अपराध को करने और समाज विरोधी आचरण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का काम करते हैं।

विद्यालय ही बालक का समाज में समायोजन करने में सहायक होता है जिसके आधार पर बालक में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। बालक में विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति का विकास होना ही बाल अपराध की पहली अवस्था है। आवारागर्दी, निर्धनता, बार–बार अनुत्तीर्ण होना, स्कूल का अरूचिकर माहौल आदि मुख्य कारण है जिनके कारण बालक अपनी स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। शिक्षा के अभाव में बालक में चरित्रिक दोष आसानी से घर कर जाते हैं और ये उचित तथा मान्य जीवन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। असमायोजित व्यक्तित्व का शिकार होकर बालक अपराध की दुनिया में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।

वर्तमान समय में बाल अपराध के लिए सूचना तकनीक एवं मीडिया कल्चर का प्रभाव भी अत्यधिक प्रभावशाली है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों की विशेषता है। ऐसे क्षेत्रों में बालक के लिए गली और सड़क ही खेल के मैदान का काम करते हैं। इन गलियों और सड़कों पर ऐसी बालकों को अपराधी गतिविधियों को करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। केवल गरीब परिवारों में ही नहीं अपितु उन परिवारों में भी जहां घर में पर्याप्त जगह है, वहां भी खाली समय बिताने के लिए पर्याप्त मनोरंजन के साधन या खेलकूद की व्यवस्था नहीं होती है। मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे – टेलीविजन, समाचार पत्र–पत्रिकाएं, उपन्यास, मोबाईल, सिनेमा, इन्टरनेट आदि का प्रभाव बालकों के विचारों और दृष्टिकोणों पर अत्यधिक पड़ रहा है।

माता–पिता द्वारा नौकरी या व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण बालक पारिवारिक नियंत्रण से मुक्त रहता है। खाली समय में बालक हानिकारक, मनोरंजन जैसे कुछ खास तरह की फिल्में जिनमें हिंसा, अपराध और सेक्स की भरमार होती है। गंदे गाने, यौनोत्तेजक नृत्य जैसे कैबरे, रात्रि क्लब, बार, जुआ घर, अश्लील और अपराध संबंधी साहित्य, गंदे

उपन्यास, कहानियां आदि में समय व्यतीत करते हैं। समाचार–पत्र एवं पत्रिकाओं में अपराध और सैक्स से जुड़ी खबरें काफी उत्तेजकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे बालक के मस्तिष्क में अपराधी प्रवृति की सोच का विकास होता है।

संचार के साधन, मोबाईल फोल की लत बालक को लग चुकी है। नई पीढ़ी में संचार का यह साधन अनेक बुराईयों को जन्म दे रहा है। झूठ, चोरी, ब्लैकमेलिंग, अश्लील एस.एम.एस., अनैतिक आचरण सोचना व करना बालक के लिए आसान हो गया है। बालक ही नहीं, यहां तक की परिवार के सभी सदस्यों को मोबाईल फोन की लत लग गई है। माता–पिता, भाई–बहिन आदि किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं होता। सभी एक घर में रहकर भी घंटों मोबाईल फोन पर व्यस्त रहते हैं। मोबाईल फोन सामाजिक संबंधों में दूरियां बढ़ाने में अत्यधिक सहायक है जिसके कारण पारिवारिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

इस प्रकार वर्तमान में बालकों को मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे टेलीविजन, सिनेमा, पत्र–पत्रिकाएं, उपन्यास, मोबाईल, इन्टरनेट आदि अत्यधिक प्रभावित करते हैं।

कुछ बालक ऐसे भी हैं जिन्होंने इनसे प्रभावित होकर अपराध भी किये हैं। अधिकांश समय संचार माध्यमों के सम्पर्क में रहने के कारण बच्चों में मीडिया कल्चर द्वारा दमित हिंसा कभी–कभी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि प्रेम, वात्सल्य व स्नेह के अभाव में बच्चे संवेदना शून्य बनकर हिंसा से जुड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते चले जाते हैं जो कि चिंताजनक विषय है।

## निदानात्मक निष्कर्ष –

बाल अपराध की समस्या वर्तमान में न केवल माता–पिता एवं परिवारजनों के लिए ही एक विकट एवं गंभीर सामाजिक समस्या है बल्कि सरकार के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। बाल अपराध की रोकथाम के लिए परिवार, पड़ौस, विद्यालय, समुदाय, समाज और सरकार सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तत्परता से करना होगा, तभी देश के नौनिहाल कर्णधारों को एक सुल सुसंस्कृत और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है।

बाल अपराध की उत्पत्ति में बालक के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सबसे महत्वपूर्ण सुझाव तो यह है कि परिवार और समाज को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।

परिवार का माहौल उत्तम होना चाहिए। परिवार बालकों का निर्देशन, बालकों का निरीक्षण, अच्छी आदतों का निर्माण, बालकों में आत्मनिर्भरता का विकास कर बाल अपराध की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पड़ौस का वातावरण अच्छा होना चाहिए तथा बालकों को पड़ौस की कुसंगति से बचाने का प्रयास किया जाये।

विद्यालय द्वारा बालकों को उत्तम एवं रूचिकर वातावरण प्रदान करना चाहिए तथा अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। बालकों को सामान्य और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास बाल अपराध की रोकथाम का महत्वपूर्ण उपाय है।

बालकों को मोबाईल का प्रयोग एक सीमित समय तक ही करने दिया जाना चाहिए। बच्चे के मोबाईल प्रयोग करते समय आप उसके पास ही मौजूद रहे या फोन में पासवर्ड लगाकर रखे। बच्चों को पार्क घुमाने ले जाये। इससे बच्चों को तरोताजा महसूस होगा और बच्चे अपने आप ही अपनी पसंद का खेल ढूंढ लेंगे। इस तरह हम बालकों को टीवी, मोबाईल, इन्टरनेट आदि से दूर रख सकते हैं।

सरकार को भी बालकों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही जो बच्चे निर्धन हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। गंदी बस्तियों को समाप्त करना चाहिए।

बाल अपराध जैसी गंभीर समस्या पर नियंत्रण एवं बाल अपराधों के सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। राज्य का कर्त्तव्य है कि वो सभी बच्चों के विकास के समान अवसर प्रदान करें ताकि वे भविष्य में एक उत्कृष्ट नागरिक बन सकें।

## अध्ययन पद्धति –

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक एवं निदानात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन बाल अपराध के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है। अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्त्रोत पर आधारित है।

इस अध्ययन के लिए मूल स्त्रोत पत्र–पत्रिकाओं, दस्तावेजों, शोध –अध्ययनों तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों द्वारा लिया गया है।

संदर्भ सूची –

1.खान, अबरार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 सागर लॉ हाउस, इलाहाबाद (उ. प्र.)

2.महाजन व महाजन, 'अपराधशास्त्र', विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7

3.कुमारी, मंजू "भारत में बाल अपराध', प्रिन्टवेल पब्लिकेशन, जयपुर – 2000

4.अहुजा, राम "भारत में सामाजिक समस्याएं', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000

5.शर्मा, विरेन्द्र प्रकाश, 'समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं', पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

6.अखिलेश, एस. 'बाल अपराध' ऑस्कर पब्लिकेशन, दिल्ली, 1999

7.शर्मा, एम.एल. और गुप्ता डी.डी., 'भारतीय सामाजिक समस्याएं', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

8.आहुजा, राम और आहुजा मुकेश, 'विवेचनात्मक अपराध शास्त्र', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

9.सिंह, शिवशंकर 'बच्चों के विरूद्ध अपराध', सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।


International Research Mirror